



CAMSON

जानकारी जन समुदाय को दी।

भूपू सैनिक वापस ले सकते हैं राशि

बड़वानी। सैनिक कल्याण अधिकारी छण्डवा से प्राप्त जानकारी अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को आर्मी रूप इन्वॉयर्स फण्ड की एमबीएम स्कीम 31 दिसम्बर को समाप्त हो रही है। अतः बिना भूतपूर्व सैनिकों ने उक्त स्कीम की राशि नहीं ली है, वे उक्त तिथि तक अपनी राशि वापस ले सकते हैं।

कैमसन की नई सौगात

बड़वानी (राज बिजनेस)। कैमसन बायो टेक्नोलॉजी लिमिटेड बैंगलोर द्वारा तैयार मिर्च की नई किस्म गोमती को जिले के किसानों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। नई किस्म का प्लॉट जिले के कुण्डवा शाल में महेश यादव के यहां प्रदर्शन के रूप में लगाया गया था। प्लॉट पर पिछले दिनों दो दिवसीय प्रदर्शनी आयोजित की गई। इसका उद्घाटन कम्पनी के ऑल इंडिया इंचार्ज वीके सिंह एवं एमपी इंचार्ज ब्रजेश अग्निहोत्री ने किया। इस दो दिवसीय प्रदर्शनी में खंडवा, खरगौन, बड़वानी, धार, रतलाम, भोपाल, कटनी से आए डॉक्टर एवं फार्मर उपस्थित थे। प्लॉट के अवलोकन से पता चला कि गोमती मिर्च का उत्पादन व बाजारियों से लड़ने की क्षमता अन्य नैराश्रितों की अपेक्षा बेगुनी है।

बड़वानी। जिले से स्थानान्तरित होकर जा रहे पुलिस अधीक्षक पीके माधुर को मंगलवार शाम पुलिस परिवार ने विदाई दी। इससे पहले नवागत एसपी रघुवीरसिंह भीणा का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इसी मंच से दो वर्ष का

श्री माधुर ने अपने अनुभव के आधार पर जिले को विकास के पथ पर अग्रसर बताते हुए श्री भी से इसे आगे बढ़ाने में सहयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने नागरिकों एवं मीडिया से नि सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।

नरेगा के तहत समितियां गठित

बड़वानी (आरएनएन)। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत कार्यों की मॉनिटरिंग व पर्यवेक्षण के लिए ग्राम स्तर पर गठित ग्राम सतकंता एवं निगरानी समितियों का प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। यह प्रशिक्षण क्षेत्रीय ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केंद्र इंदौर द्वारा प्रत्येक जनपद पंचायत में 3-4 ग्राम पंचायत के बलस्टर तैयार कर किया जा रहा है। जनपद पंचायत में यह प्रशिक्षण मद्र की स्थापना दिवस से प्रारंभ किए गए हैं। जर्प के 15 बलस्टर में यह प्रशिक्षण किया गया। प्राचार्य क्षेत्रीय ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केंद्र इंदौर से प्राप्त जानकारी अनुसार ग्राम स्तरीय निगरानी समिति का गठन 8 पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 7 क के प्रावधानों के अंतर्गत किया गया है। समिति में 1 पंच, 1 महिला, 1 अजला, अजा का सदस्य, एक अकुशल श्रमिक एवं एक शिक्षित व्यक्ति जो कम से कम 10वीं पास हो का होना अनिवार्य है, इस तरह समिति में 6 सदस्य होंगे।

प्रशिक्षण में समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव एवं सदस्य सम्मिलित होते हैं। इनमें प्रशिक्षण नरेगा के प्रमुख प्रावधान योजनांतर्गत उपयोजनाएं, समिति की आवश्यकता भूमिका, उनके कार्य एवं दायित्वों की जानकारी देकर सोशल ऑडिट एवं उसमें समिति के सहयोग पर चर्चा की जाती है। वह समिति के सदस्यों से ग्राम में कुपोषण से ग्रस्त बच्चों के परिवारों को नरेगा में 100 दिवस का रोजगार प्राथमिकता से दिलवाने। क्षेत्र में सिंचाई का रकबा बढ़ाने के लिए जल संवर्धन के तहत कूप, तालाब निर्माण के कार्य करवाने की भी समझाईश दी जाती है। इस प्रशिक्षण में संस्थान के सदस्य श्रीमत् उर्मिला पंवार, राजेश बाहेली, चंद्रपालसिंह, जगदीश पाटीदार, बीएम गौड़ ने अभी तक 300 से अधिक सदस्यों को प्रशिक्षित किया है।